International Journal of Multidisciplinary Trends

E-ISSN: 2709-9369
P-ISSN: 2709-9350
www.multisubjectjournal.com
IJMT 2023; 5(4): 01-04
Received: 01-01-2023
Accepted: 06-02-2023

सरिता
शोध छात्रा, शिक्षा विभाग,
(केन्द्रीय शिक्षा संस्थान), दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

Corresponding Author:
सरिता
शोध छात्रा, शिक्षा विभाग,
(केन्द्रीय शिक्षा संस्थान), दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

ग्रामीण संदर्भ में सामाजिक समावेशनः दशा एवं दिशा

सरिता

सारांश
भारत एक ग्राम प्रधान देश है, इसकी 68.8 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती है। यह समाज मुख्यतः कृषि एवं पशुपालन पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। यहाँ परम्परागत रूप से जाति–व्यवस्था की उपस्थिति पाई जाती हैं। पुरुष प्रधान, स्तरीकृत एवं जाति–व्यवस्था पर आधारित ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत से वर्गों की सामाजिक सहभागिता की स्थिति दयनीय है। वंचित वर्गों की दशा को सुधारने के लिए, सरकारों ने बहुत सी योजनाएँ, नीतियाँ एवं कार्यक्रम चलाए परन्तु अभी भी इस दिशा में बहुत कुछ करना शेष है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की तुलना में सुविधाओं की कमी रहती है और यह भी इन क्षेत्रों के लोगों के सामाजिक समावेशन में बाधक है। इस शोध लेख में ग्रामीण संदर्भ में सामाजिक समावेशन की स्थिति कैसी है, उसकी दशा कैसी है एवं किस प्रकार वंचित वर्गों का पर्याप्त सामाजिक समावेशन किया जाए उसके सामाजिक समावेशन की क्या दिशा होनी चाहिए इन प्रमुख मुद्दों की पड़ताल की गई है एवं विमर्श किया गया है।

कूटशब्दः बर्हिवेशन, समावेशन, सहभागिता, वंचित, ग्रामीण संदर्भ

भूमिका
भारत को गाँवों का देश कहा जाता है। इसकी जनसंख्या का दो–तिहाई से भी अधिक गाँवों में निवास करता है। डॉ. दूबे (2005) के अनुसार भारतीय समाज परम्परागत है और इनमें जातीय व्यवस्था है जिससे की समाज में स्तरीकरण है, पदानुक्रमता है। गाँवों में भी जातीय उपव्यवस्था पाई जाती है और इसकी जड़े शहरों की तुलना में गाँवों में अधिक गहरी हैं। जाति–व्यवस्था के कारण समाज में व्यक्तियों के स्टेट्स में भी जन्मजात अन्तर होता है और जाति से पेशे भी जुड़े होते हैं जो अभी भी पूर्णतया जातियों से दूर नहीं हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की अपनी कुछ विशेषताएँ हैं जिनका प्रभाव उनके सामाजिक समावेशन पर पड़ता है।

ग्रामीण समाज की विशेषताएँ
परम्परागत समाज
ग्रामीण समाज मुख्यतः परम्परागत है जिसमें जाति–व्यवस्था की उपस्थिति अभी भी देखी जा सकती है। जाति–व्यवस्था से जुड़े पेशों की बेड़ियाँ अभी भी पूर्णतया गाँवों में टूटी नहीं हैं, और अभी भी जाति आधारित पारम्परिक पेशे में व्यस्त लोग देखे जा सकते हैं। इस तरह से लोगों का बहुत सी सामाजिक गतिविधियों से बर्हिवेशन पाया जाता है जिनकी सामाजिक गतिविधियों में पर्याप्त सहभागिता होनी चाहिए। वंचित वर्गों का सामाजिक समावेशन होना चाहिए।

खेती व पशुपालन
जाति आधारित व्यवसायों में अधिकांश लोग व्यस्त रहते हैं। इनमें से अधिकतर लोगों का व्यवसाय खेती एवं पशुपालन होता है। अधिकतर ग्रामीण लोग कृषक होते हैं जो खेती करते हैं एवं साथ ही साथ पशुपालन का कार्य भी करते हैं। अधिकतर ग्रामीण लोगों के कार्य शारीरिक श्रम पर आधारित होते हैं। अतः कहा जा सकता है कि अधिकतर ग्रामवासी मेहनती होते हैं।

संयुक्त परिवार व्यवस्था
गाँवों में अधिकांश रूप से संयुक्त परिवार व्यवस्था पाई जाती है जहाँ पर तीन पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं। परिवार में सदस्यों की संख्या भी अधिक होती है। परिवार में जहाँ अधिकतर घरेलू कार्य स्वयं परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है। वही आपसी मेलजोल के साथ अधिकांश लोग रहते हैं। सयुंक्त परिवार सुख–दुख की परिस्थितियों को आपस में बाँटते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। हालांकि अब एकल परिवारों की संख्या भी बढ़ने लगी है लेकिन संयुक्त परिवारों की संख्या अभी भी बहुलता में देखी गई है।

लिंग आधारित भेदभाव

अधिकांश ग्रामीण समाज परम्परागत, पितृसत्तात्मक हैं और इस कारण यहाँ पर स्त्रियों के साथ लिंग आधारित भेदभाव पाया जाता है। स्त्रियों, बालिकाओं के कार्यक्षेत्र मुख्यतः 'घर' तक सीमित होते हैं। घरेलू कार्यो का उत्तरदायित्व अधिकांश रूप से स्त्रियों पर ही रहता है। वे घर के बाहर के जगत से मोटे रूप से बर्हिष्कृत रहती हैं और उनकी सामाजिक सहभागिता अपर्याप्त है, सीमित है। स्त्रियों के न केवल कार्यक्षेत्र सीमित हैं अपितु उनके अवसर भी कम हैं कि वे आगे बढ़ सकें। अधिकतर ग्रामीण समाज में बेटियों को परिवार की मान–मर्यादा से जोड़कर देखा जाता हैं।

कम साक्षरता दर

सन् 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 71.42 प्रतिशत साक्षरता दर थी जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 83.18 प्रतिशत थी। स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में कम साक्षरता दर उनको बहुत से क्षेत्रों में सहभागिता से वंचित करती है और उनको सामाजिक रूप से बर्हिवेशन सहना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार 32.23 प्रतिशत है। स्त्री साक्षरता दर में ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बहुत ही पिछड़ी है और यह उनके पर्याप्त सामाजिक समावेशन में बहुत बड़ी बाधक है।

मूलभूत एवं आधुनिक सुविधाओं की कमी

ग्रामीण क्षेत्रों का शहरों की तुलना में विकास का स्तर बहुत कम पाया जाता हैं। आधुनिक सुविधाएँ एवं संस्थाएँ जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, स्टेडियम, लाइब्रेरी इत्यादि गाँवों में मुख्यतः नहीं पाई जाती। इन संस्थाओं एवं सुविधाओं के अतिरिक्त अभी भी भारत में ऐसे भी गाँव हैं जहाँ बिजली, पानी जैसी, मूलभूत सुविधाओं की निरन्तर व्यवस्था नहीं है। गाँवों की शहर तक पहुँच भी आसान नहीं है। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्र मूलभूत एवं आधुनिक सुविधाओं की कमी से गुजर रहे हैं।

कम जनसंख्या घनत्व

ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। यहाँ शहरों की भाँति ऊँची–ऊँची इमारतें नहीं होती। लोगों का प्रकृति के साथ सान्निध्य होता है और सादा व सरल जीवन होता है। कम जनसंख्या घनत्व एवं कम जनसख्या के कारण संभवतः गाँव के लोग आपस में एक–दूसरे को जानते हैं और एक–दूसरे का सहयोग भी करते हैं।

सामाजिक समावेशन

ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समावेशन अभी भी पर्याप्त रूप से सभी वंचित वर्गों का नहीं हुआ है। सिल्वर (2015) के अनुसार सामाजिक समावेशन में क्षेत्रीय विषमताएँ पाई जाती हैं क्योंकि हर क्षेत्र का अपना इतिहास, संस्कृति, परम्पराएँ, सामाजिक संरचनाएँ अलग–अलग प्रकार की होती हैं जो कि उस क्षेत्र के सामाजिक समावेशन को प्रभावित करती हैं। सामाजिक समावेशन प्रत्येक क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों एवं अवसरों से भी प्रभावित होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आगे बढ़ने के अवसर एवं संसाधन अपेक्षाकृत कम हैं। इसलिए वहाँ सामाजिक समावेशन की स्थिति भी अच्छी नहीं है। गाँव में वंचितों, स्त्रियों की सामाजिक सहभागिता सीमित है। वे समाज के बहुत से क्षेत्रों से बहिष्कृत हैं। जब सामाजिक गतिविधियों में सभी वंचित वर्गों की सहभागिता पर्याप्त होगी, उनकी सहभागिता के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे तभी हम एक समावेशी समाज के निर्माण की आशा कर सकते हैं।

सामाजिक समावेशन से न केवल वंचित वर्गों की सहभागिता बढ़ती है बल्कि उनका एवं राष्ट्र का सशक्तीकरण भी इससे संबधित है। समावेशी समाज में सबके लिए अवसर उपलब्ध होते हैं और सभी वर्गों की सहभागिता होती है। यह समावेशी समाज देश को उन्नति एवं विकास की दिशा में आगे बढ़ाता है। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक समावेशन अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी वर्गों के सामाजिक समावेशन की आवश्यकता है ताकि सभी का सशक्तीकरण हो सके, सभी आत्मनिर्भर बन सके, सभी की गरिमा कायम रहे।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समावेशन की दशा

ग्रामीण संदर्भ में देखें तो बहुत ज्यादा लोग वंचित वर्ग का हिस्सा हैं जो सामाजिक रूप से बहिष्कृत हैं। सामाजिक सहभागिता ऐसे लोगों की अपर्याप्त है। ग्रामीण संदर्भ में सामाजिक समावेशन की दशा को निम्नलिखित रूप में समझा जा सकता है :–

स्त्रियों व बालिकाओं का सामाजिक समावेशन

ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत रूप से घरेलू कार्य क्षेत्र स्त्रियों के माने जाते हैं लेकिन घर के बाहर की दुनियाँ पुरुषों की रही है। आजादी के 75 वर्षों के उपरांत भी इस विभाजन में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया है। घर के बाहर के कार्यों में महिलाओं का समावेशन अपर्याप्त है। वे बहुत से क्षेत्रों में सहभागिता से वंचित हैं। किशोरी बालिकाओं की स्थिति तो और अधिक दयनीय है। घर से बाहर जाना भी, उसके लिए बड़ी चुनौती है। अधिकांश घरेलू कार्य क्षेत्र तक ही स्त्रियों की भागीदारी है। बाहर की दुनिया में भागीदारी के अवसरों की पर्याप्त उपलब्धता उनके पास नहीं है और न ही उनके पास पर्याप्त संसाधन हैं। सभी दृष्टियों से वह वंचित वर्ग है। पितसत्तात्मक ग्रामीण समाज में तो स्त्रियों की स्थिति और अधिक चिंताजनक है। घर, परिवार की इज्जत को बालिकाओं से पितसत्तात्मक, पुरुषप्रधान समाज में जोड़कर देखा जाता है। इस दृष्टिकोण के कारण भी इनकी बहुत–सी सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता अपर्याप्त है।

ग्रामीणों का शैक्षिक समावेशन

आँकड़े दर्शाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में साक्षरता दर बहुत ही कम है। इसमें स्त्री साक्षरता दर तो बहुत ही कम मात्र 32.23 प्रतिशत है। यह साक्षरता दर ग्रामीणों के शैक्षिक बर्हिवेशन का संकेतक है। स्त्रियों की शैक्षिक गतिविधियों, संस्थाओं में भागीदारी भी बहुत कम है। साक्षरता को शिक्षा और विकास से जोड़ा जाता है और शिक्षा बेहतर भविष्य, आत्मनिर्भरता एवं सशक्तीकरण की प्राप्ति के उपकरण के रूप में देखी जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थाओं की कमी, जागरुकता का अभाव, परम्परागत सोच, गरीबी इत्यादि कारण हो सकते हैं जो शैक्षिक संस्थाओं में ग्रामीणों की पर्याप्त भागीदारी के मार्ग में बाधक हैं।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछडी जातियों का सामाजिक समावेशन

ग्रामीण संदर्भ में जाति–व्यवस्था के कारण अनुसूचित जातियों एवं पिछड़ी जातियों का भी पूर्णतया सामाजिक समावेशन नहीं हुआ है। जाति–व्यवस्था की पदानुक्रमता एवं पेशे के कारण जन्म से ही व्यक्ति की सामाजिक स्थिति निर्धारित होती है। आजादी के उपरांत जातियों की बेड़ियाँ टूटी हैं परन्तु अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुई हैं। जाति–व्यवस्था के कारण कुछ विशेष जातियों के लोगों का सामाजिक गतिविधियों से बर्हिवेशन हो गया है। अनुसूचित जनजातियाँ भी सामाजिक ढाँचे में वंचितों की श्रेणी में आती हैं क्योंकि इनकी भी सामाजिक समावेशन की स्थिति अच्छी नहीं हैं। पिछड़ी जातियों को भी बेहतर सामाजिक समायोजन की आवश्यकता है। अतः स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित जातियों का पर्याप्त रूप से सामाजिक

समावेशन नहीं हुआ है।

दिव्यांग जनों का सामाजिक समावेशन

2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 2.21 प्रतिशत जनसंख्या दिव्यांग है। इनमें 56 प्रतिशत पुरुष एवं 44 प्रतिशत स्त्रियाँ हैं। सर्वाधिक चिंताजनक हैं कि कुल दिव्यांगजनों का 69 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्रों में दो तिहाई से अधिक दिव्यांगजनों की जनसंख्या वहाँ उनके सामाजिक समावेशन की दृष्टि से भी चिंताजनक है। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः सुविधाओं, अवसरों का अभाव है ऐसे में दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएँ एवं अवसरों की कल्पना कैसे कर सकते हैं? दिव्यांगजनों की सहभागिता की स्थिति चिंताजनक है। उनके लिए विशेष सुविधाएँ, अवसर, परिस्थितियों की निर्बाध उपलब्धता एक दूर की सोच है।

गरीबों का सामाजिक समावेशन

ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले अधिकांश लोग गरीब हैं। गरीबी के कारण ये बहुत सी सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता से वंचित हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय 2011–12 में 40,928 रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 98,435 रुपये प्रति वर्ष हैं। यह दर्शाता हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय शहरी क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है। आय का प्रत्यक्ष संबंध जीवन की गुणवत्ता से है। आय अधिक होने पर जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है परन्तु गरीब व्यक्ति गुणवत्तापूर्ण जीवन के लिए संघर्ष करता है। वह बहुत–सी सुविधाएँ नहीं खरीद पाता और न ही सुविधाओं तक पहुँच पाता है। गरीबी सामाजिक समावेशन की राह में पत्थर है। अतः ग्रामीण गरीबी के कारण बहुत सी सामाजिक गतिविधियों से बहिर्वेशित हैं।

जागरुकता की कमी

ग्रामीण समाज में तुलनात्मक रूप से जागरुकता की कमी है। ग्रामीणों को बेहतर जीवन के अवसरों, सुविधाओं के विषय में जानकारी भी बहुत बार नहीं होती और उनमें अधिकांशतः जागरुकता का अभाव भी देखा गया है। सरकार द्वारा प्रारंभ की गई समावेशन एवं सशक्तीकरण की योजनाओं के बारे में अधिकांश ग्रामीणों को जानकारी नहीं होती और न ही जागरुकता होती है। जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी स्थिति यहीं है। शिक्षा के स्तर एवं जागरुकता का भी संबंध है। ग्रामीण लोगों की निरक्षरता और शिक्षा का स्तर उनकी जागरूकता में कमी का कारण हो सकता है। अतः कहा जा सकता है कि आमतौर पर ग्रामीणों में जागरुकता की कमी पाई जाती है।

अतः स्पष्ट है कि ग्रामीण संदर्भों में सामाजिक समावेशन अपर्याप्त हैं। ग्राम में वंचित वर्गों की स्थिति बर्हिवेशन की है। वंचित वर्ग को समाज में समावेशित करना चाहिए। वंचित वर्ग के समाज में समावेशन से संबंधित दिशा पर विचार करना चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समावेशन की दिशा

ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समावेशन की दशा को देखते हुए उसको सकारात्मक दिशा देना अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकारों ने बहुत से कदम उठाए हैं जो कि इसकी दिशा तय करेंगे।

नीति, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का निर्माण

ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समावेशन की दिशा में सरकारों ने स्वतंत्रता के उपरांत समय–समय पर बहुत सी नीतियाँ, योजनाएँ एवं कार्यक्रम प्रारंभ किए। इन वंचित वर्गों से संबंधित सभी नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों का उद्देश्य इन वर्गों की सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देना रहा ताकि वे सशक्त हो और आत्मनिर्भर बने एवं स्वयं एवं देश का उत्थान कर सकें।

बालिकाओं एवं स्त्रियों के सामाजिक समावेशन से संबंधित नीतियाँ, योजनाएँ एवं कार्यक्रम

बालिकाएँ एवं स्त्रियों से संबंधित बहुत सी योजनाएँ, नीतियाँ एवं कार्यक्रम हैं जिनका निर्माण सरकारों ने किया है। ये योजनाएँ ग्रामीण एवं शहरी दोनों ही क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए हैं। बेटियों एवं स्त्रियों से संबंधित योजनाएँ जैसे लाडली योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किशोरी शक्ति योजना, महिला पुलिस वालंटियर, प्रधानमन्त्री मातृ–वंदना योजना, उज्जवला योजना, वन स्टाप सेंटर स्कीम, महिला शक्ति केन्द्र स्कीम, मिशन शक्ति, आपकी बेटी हमारी बेटी इत्यादि योजनाएँ सरकारों ने समय–समय पर प्रारंभ की ताकि इसकी सहभागिता को बढाया जा सकें। न केवल सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए अपितु बालिकाओं की जन्मदर को भी बढ़ाने के लिए इनका प्रारंभ किया गया। बालिकाओं का शिक्षा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकारों ने छात्रवृत्तियाँ प्रारंभ की। अतः स्पष्ट है कि बालिकाओं एव स्त्रियों के लिए सुविधाओं को बढ़ावा देने, उनको संसाधनों की उपलब्धता आसान करने एवं उनके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में ये नीतियाँ, योजनाएँ और कार्यक्रम रहे हैं। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि एक समावेशी समाज का सपना शीघ्र ही साकार होगा। सामाजिक समावेशन में स्त्रियों को सम्मिलित करने के लिए, उनकी सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए सरकारों के ये प्रयास सराहनीय हैं। स्वतंत्रता के उपरांत से अब तक स्त्रियों की सामाजिक समावेशन की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है परन्तु अभी और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़ी जातियों के सामाजिक समावेशन से सबंधित नीतियाँ, योजनाएँ एवं कार्यक्रम

शहरी एवं ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के सामाजिक समावेशन के संबंध में भी सरकारों ने समय–समय पर नीतियाँ, योजनाएँ एवं कार्यक्रमों का निर्माण किया है जिनमें प्रमुख हैं स्कीम ऑफ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू ट स्टूडेन्ट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर ओबीसी स्टूडेंटस, स्कीम ऑफ पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स बिलोगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स इत्यादि। इन योजनाओं के कारण इन वंचित वर्गों की सामाजिक सहभागिता बढ़ी है और पर्याप्त सामाजिक समावेशन की दिशा में किए किये गये ये उत्तम प्रयास हैं। स्वतंत्रता के उपरांत इन वंचित वर्गों की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है परन्तु अभी भी बहुत कुछ करना शेष है। इन वर्गों के सामाजिक समावेशन हेतु और नीति–निर्माण के साथ–साथ उनका प्रभावी कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया जाए तो शीघ्र ही पर्याप्त सामाजिक समावेशन के लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है।

दिव्यांगजनों के सामाजिक समावेशन से संबंधित नीतियाँ, योजनाएँ एवं कार्यक्रम

भारत सरकार ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले दिव्यांगजनों के लिए समय–समय पर विभिन्न योजनाएँ प्रारंभ की हैं जैसे विकास, समर्थ, घरौंदा, सहयोगी, संभव, बढ़ते कदम, दिशा इत्यादि प्रमुख हैं। इनमें दिव्यांगजनों के लिए कुछ छात्रवृत्तियाँ जैसे प्री–मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेन्टस विद डिसएबिलिटिस, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंटस विट डिसएबिलिटी, छभ्थ्क्ब ट्रस्ट फण्ड स्कॉलरशिप फॉर डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स, ।प्ब्ज–सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम इत्यादि प्रमुख हैं।

ये दिव्यांगजनों के सामाजिक समायोजन की दिशा में प्रयास हैं। अभी भी दिव्यांगजनों के सामाजिक समायोजन हेतु बहुत कुछ करना शेष है।

गरीबों के सामाजिक समावेशन से संबंधित योजनाएँ, नीतियाँ एवं कार्यक्रम

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय शहरी क्षेत्रों की तुलना में बहुत ही कम होती है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवास करने वाले गरीबों के लिए भी सरकारों ने समय–समय पर बहुत सी योजनाएँ प्रारंभ की हैं जिनमें प्रमुख है प्रधानमन्त्री जन–धन योजना, प्रधानमन्त्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना, अन्तोदय अन्न योजना इत्यादि। इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों लोगों को आर्थिक सहायता मिलती है एवं अन्य सुविधाएँ भी प्राप्त होती हैं। ये सब योजनाएँ ग्रामीणों की सहभागिता बढ़ाने में सहायक हैं परन्तु अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है तभी ग्रामीण लोगों का सामाजिक समावेशन पूर्ण हो सकेगा।

नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की जागरुकता को बढ़ाने की आवश्यकता है। ग्रामीणों की परम्परावादी, संकीर्ण सोच भी वहाँ के लोगों के बर्हिवेशन के लिए उत्तरदायी है। साधनों, सुविधाओं की कमी तो ग्रामीण क्षेत्रों में है परन्तु सोच एवं दृष्टिकोण भी अधिकांश रूप से संकीर्ण पाया गया है। बेहतर सामाजिक समायोजन के लिए इसमें बदलाव की आवश्यकता है। समावेशित समाज में ग्रामीणों की भी पर्याप्त भागीदारी होनी चाहिए। इसके लिए सरकारों ने जो प्रयास किए हैं वे सराहनीय हैं परन्तु अभी भी इस दिशा में बहुत कुछ करना शेष है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ग्रामीण संदर्भ में सामाजिक समावेशन की दिशा में सरकारों ने नीतिगत स्तर पर बहुत प्रयास किए हैं परन्तु अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। निरक्षर, गरीब, परम्परावादी, सुविधाओं से संसाधनों से विहीन ग्रामीण समाज को सामाजिक समावेशन की आवश्यकता है। ग्रामों की उन्नति, विकास, आत्मनिर्भरता एवं सशक्तीकरण के लिए उनका पर्याप्त सामाजिक समायोजन आवश्यक है ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में स्वतंत्रता के उपरांत बहुत सुधार हुआ है परन्तु अभी भी इसकी दशा ओर सुधारने की आवश्यकता है। इसके लिए नीतियों के निर्माण के साथ–साथ उनका प्रभावी कार्यान्वयन आवश्यक है। ग्रामीणों में जागरुकता एवं शिक्षा को बढाना भी इस दिशा में बहुत महत्त्वपूर्ण है। ग्रामीणों की परम्परावादी सोच में बदलाव लाना भी ग्रामीणों के सामाजिक समायोजन में सहायक होगा। अतः कह सकते हैं कि सकारात्मक सोच से नीतियाँ, कार्यक्रम एवं योजनाएँ बनाई जाए एवं उनका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक समायोजन को पूर्णतया प्राप्त किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. Census 2011. India https://www.census 2011.co.in
2. Disabled Population in India as per census 2011 (2016 updated), https://enabled.in>Home>Resources
3. Government Initiatives for Redressal of Disability in India MoSPI https://mospi.gov.in>files(PDF)
4. https://wcd.nic.in
5. https://socialjustice.gov.in>Schemes.
6. Per Capita Income in Rural and Urban Areas pib.gov.in https://pib.gov.in>Press Releaseifra...
7. Rural Illiteracy Among Girls, Press Information Bureau https://pib.gov.in>Print Release
8. Silver, Hilary. (2015). The Context of Social Inclusion, Department of Economics & Social Affairs, United Nations Secretariate, New York, USA. (DESA Working Paper No. 144, United Nations) un.org https://www.un.org>papers
9. दूबे, श्यामाचरण, अनु. (वंदना मिश्रा). (2005). भारतीय समाज, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत.